न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 51/2018

उनवान

1 छाजूराम
2 पूरण
} पि0 बल्ला उर्फ बलदेव जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुरा तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. कैलाश
2 लीलाराम
3 गिरधारी लाल
} पि0 पोखरमल
समस्त जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुा तहसील शाहपुरा

प्रतिवादीगण

4 बाबूलाल पुत्र बल्ला उर्फ बलदेव
5 दुर्गाराम पुत्र भंवराराम
समस्त जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री दीपक शर्मा एडवोकेट वादी
श्री मदनलाल जाट एडवोकेट प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 6.4.2022

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि आराजी खसरा : 423 रकबा 1.47 है0 भूमि वाके ग्राम बासडी गणेशपुरा तहसील स्थित है, जो वादी व तरतीबी ादीगण के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व तरतीबी अपनी भूमि पर काबिज कास्त ादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 423 के दक्षिणी भाग में लगती प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि रा नम्बर 424 स्थित है वादीगण अपनी भूमि में मौके पर छोटे छोटे खेत बना रखे है जिनको चारो ओर र करीब 3–3 फुट की डोल बना रखी है तथा बोरिंग सिंचाई हेतु लगा रहे है। तथा सींव डोल ने लगे तथा एलानिया धमकी दी कि दो चार दिवस में मौका मिले ही वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदारी भूमि ख0नं0 423 की दक्षिणी सींव को फावडे से मिट्टी हटाने पर आमादा हो गये तथा शोर । की आवाज सुनकर आसपास के काश्तकार मौके पर आ गये तथा उन्होने प्रतिवादीगण की उक्त यज कार्यवाही का उन्हाना दिया तथा उन्हे वापस भेजा लेकिन जाते समय प्रतिवादीगण ने एलानिया ो कि तुम्हारे खेत के बाजरे की फसल को हम काटेगें । अन्त में वादी ने जाहिर किया कि ादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी रा नम्बर 423 रकबा 1.47 है0 से बेदखल नहीं किया जावे तथा सींव डोल को काटकर अपने खेत में मिलावें ।

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर जाहिर किया गया कि वादीगण के लगती प्रतिवादीगण खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 424 रकबा 1.98 है0 भूमि स्थित है जो कि खसरा नम्बर 424 के उत्तर में खसरा नम्बर 423 वादीगण की भूमि स्थित है । प्रतिवादीगण अपनी भूमि पर कब्जा कास्त कर रहे था वादीगण के द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि की सींव डोल काटने पर इनके विरूद्ध उनवानी प्रकरण सं0

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

/2018 कैलाशचन्द बनाम छाजू विचाराधीन होने से यह दावा पेश किया गया है। जिसमें उल्लेखित सभी मनघडन्त पेश किया गया है तथा दावा विनाय कारण पेश किया गया है।

वकील अभय पक्ष को आज सुना गया । वकील वादी ने अपने बहस में वाद पत्र में अंकित ों को जाहिर करते हुए प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु दन किया तथा वकील प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा के तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण को पाबन्द ने हेतु निवेदन किया ।

हमने उभय पक्ष द्वारा पेश दावा , जवाबदावा व वकील अभय पक्ष की बहस पर मनन के पाया गया कि वादी एवं तरतीती प्रतिवादीगण की भूमि खसरा नम्बर 423 स्थित है जिसके दक्षिण में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 424 स्थित है । उभय पक्ष दोनो के द्वारा ही अपनी अपनी भूमि पर ही बेज होना जाहिर किया गया है तथा एक दूसरे की सींव डोल काटने को लेकर आपस में विवाद है। । पक्ष अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान किया गया है या नहीं यह दौराने दावा विचारण में तथ्य पेश किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि किस पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष की भूमि की सींवडोल काटने पर ादा हैं ,लेकिन वादीगण के नाम भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से उसमें कास्त करने बन्दी करने आदि का अधिकार है तथा अपनी अपनी भूमि की सीमा जानकारी करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः दावा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया ा हैं कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 1.98 है0 वाके ग्राम डी गणेशपुरा तहसील शाहपुरा की उत्तरी सींव डौल से कोई छेडछाड नहीं करे, सींवडोल को काटकर े खेतों में नहीं मिलावे, तथा उक्त भूमि व उसके किसी भी भाग से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को ान बेदखल नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.4.2022 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ख़ल दफ्तर हो।

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– **श्री मनमोहन मीना, आर ए एस**

वाद संख्या :– **51/2018**

उनवान

1 छाजूराम
2 पूरण } पि0 बल्ला उर्फ बलदेव जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुरा तहसील शाहपुरा

वादीगण

बनाम

1. कैलाश
2 लीलाराम
3 गिरधारी लाल } पि0 पोखरमल
समस्त जाति गुर्जर निवासी बासडी गणेशपुा तहसील शाहपुरा

प्रतिवादीगण

4 बाबूलाल पुत्र बल्ला उर्फ बलदेव
5 दुर्गाराम पुत्र भंवराराम

समस्त जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपस्थित **श्री दीपक शर्मा एडवोकेट वादी**
श्री मदनलाल जाट एडवोकेट प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 6.4.2022

अतः दावा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की आराजी खसरा नम्बर 424 रकबा 1.98 है0 वाके ग्राम बासडी शपुरा तहसील शाहपुरा की उत्तरी सींव डौल से कोई छेडछाड नहीं करे, सींवडोल को काटकर अपने ां में नहीं मिलावे, तथा उक्त भूमि व उसके किसी भी भाग से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को जबरन खल नहीं करें ।

आज तारीख 6·4·22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर

द के खर्चे

		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
ाद पत्र के लिए स्टाम्प क्ति पत्र के लिए स्टाम्प दर्शा के लिए स्टाम्प ____ रूपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
ड		जोड़	